

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 59

महिला और बाल विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	2600.00 ... 2600.00	53.91 ... 53.91	2653.91 ... 2653.91	2150.00 ... 2150.00	53.91 ... 53.91	2203.91 ... 2203.91	2400.00 ... 2400.00	54.19 ... 54.19	2454.19 ... 2454.19	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण बाल कल्याण	2251	0.50	7.00	7.50	0.22	7.22	7.44	5.00	7.85	12.85
2. एकीकृत बाल विकास सेवाएं	2235	4.80	...	4.80	4.50	...	4.50	4.94	...	4.94
	3601	1426.52	...	1426.52	1322.97	...	1322.97	1604.50	...	1604.50
	3602	13.00	...	13.00	13.99	...	13.99	14.00	...	14.00
	जोड़	1444.32	...	1444.32	1341.46	...	1341.46	1623.44	...	1623.44
3. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं	2235	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	599.00	...	599.00	409.00	...	409.00	269.00	...	269.00
	जोड़	600.00	...	600.00	410.00	...	410.00	270.00	...	270.00
4. आईसीडीएस के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम	2235	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	9.20	...	9.20
	3601	65.70	...	65.70	44.60	...	44.60	44.00	...	44.00
	3602	0.80	...	0.80	0.40	...	0.40	0.80	...	0.80
	जोड़	76.50	...	76.50	50.00	...	50.00	54.00	...	54.00
5. दिवस परिचर्या केन्द्र	2235	18.00	14.50	32.50	7.00	14.40	21.40	27.00	14.00	41.00
6. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) को अंशदान	2235	...	3.10	3.10	...	3.10	3.10	...	3.10	3.10
7. राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान	2235	4.50	6.20	10.70	4.00	6.20	10.20	5.25	6.50	11.75
8. अन्य योजनाएं	2235	8.20	0.49	8.69	4.10	0.52	4.62	14.10	0.51	14.61
जोड़-बाल कल्याण		2151.52	24.29	2175.81	1816.56	24.22	1840.78	1993.79	24.11	2017.90
महिला कल्याण										
9. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	2235	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60	5.25	...	5.25
10. बालिका समृद्धि योजना	2235	0.20	...	0.20	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3601	13.00	...	13.00	0.01	...	0.01
	3602	0.30	...	0.30	0.01	...	0.01
	जोड़	13.50	...	13.50	0.01	...	0.01	0.03	...	0.03
11. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	2235	8.98	...	8.98	4.50	...	4.50	8.98	...	8.98
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	9.00	...	9.00	4.50	...	4.50	9.00	...	9.00
12. प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता	2235	22.50	...	22.50	8.50	...	8.50	22.50	...	22.50
13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2235	20.50	12.60	33.10	20.19	12.60	32.79	27.00	13.00	40.00
14. स्वावलम्बन	2235	22.50	...	22.50	18.50	...	18.50	22.50	...	22.50
15. अल्पकालिक गृह	2235	13.50	2.50	16.00	12.85	2.50	15.35	13.50	1.50	15.00
16. जागरूकता सृजन कार्यक्रम	2235	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
17. राष्ट्रीय महिला आयोग	2235	4.05	1.46	5.51	4.00	1.46	5.46	5.40	1.60	7.00
18. स्वशक्ति परियोजना	2235	40.00	...	40.00	31.00	...	31.00	25.00	...	25.00
19. राष्ट्रीय महिला कोष	2235	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
20. स्वयंसिद्ध	2235	1.30	...	1.30	0.90	...	0.90	1.30	...	1.30
	3601	16.50	...	16.50	6.90	...	6.90	16.50	...	16.50
	3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
	जोड़	18.00	...	18.00	8.00	...	8.00	18.00	...	18.00
21. स्वाधार	2235	13.50	...	13.50	0.80	...	0.80	2.70	...	2.70
22. यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव के लिए योजना	2235	3.00	...	3.00
23. अन्य कार्यक्रम	2235	...	0.10	0.10	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
जोड़-महिला कल्याण		186.15	16.66	202.81	116.45	16.76	133.21	159.38	16.30	175.68
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		2337.67	40.95	2378.62	1933.01	40.98	1973.99	2153.17	40.41	2193.58
पोषाहार										
24. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	2236	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
25. अन्य योजनाएं	2236	1.80	5.96	7.76	1.77	5.71	7.48	1.80	5.93	7.73
कुल-पोषाहार		1.83	5.96	7.79	1.77	5.71	7.48	1.83	5.93	7.76
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	260.00	...	260.00	215.00	...	215.00	240.00	...	240.00
कुल जोड़		2600.00	53.91	2653.91	2150.00	53.91	2203.91	2400.00	54.19	2454.19
ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	0.50	...	0.50	0.22	...	0.22	5.00	...	5.00
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	2337.67	...	2337.67	1933.01	...	1933.01	2153.17	...	2153.17
3. पोषाहार	22236	1.83	...	1.83	1.77	...	1.77	1.83	...	1.83
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	260.00	...	260.00	215.00	...	215.00	240.00	...	240.00
जोड़		2600.00	...	2600.00	2150.00	...	2150.00	2400.00	...	2400.00

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं** इसमें विभाग के सचिवालय और इसके वेतन और लेखा कार्यालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **समेकित बाल विकास सेवा** : इसमें छह वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य, पोषाहार तथा शैक्षणिक सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान किया जाता है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल होती है। 30.9.2003 की स्थिति के अनुसार 5652 ब्लाकों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 5068 ब्लाक विश्व बैंक सहायित आईसीडीएस स्कीम सहित आईसीडीएस (सामान्य) के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2002-03 में, विभाग ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायकों के मानदेय में 1.4.2002 से क्रमशः 500 रुपए प्रतिमाह और 240 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है।

3. **विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई. सी.डी.एस. परियोजना** : परियोजना बिहार के 210 ब्लाकों में और मध्य प्रदेश के 244 ब्लाकों में प्रचालन में थी। बिहार का बिहार तथा झारखंड राज्यों और मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश राज्यों में पुनर्गठन होने के बाद इन राज्यों को क्रमशः 84, 126, 88 और 156 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। आईसीडीएस-II परियोजना के विस्तार और पुनर्संरचना के बाद जिसमें विस्तारित अवधि के लिए आन्ध्र प्रदेश में आईसीडीएस-आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना भी शामिल थी, कुल 900 परियोजनाएं केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रचालन में थीं। सामान्य आई.सी.डी.एस. क्रियाकलापों के अलावा, कतिपय अतिरिक्त घटक जैसे कि किशोर लड़कियों हेतु स्कीम, ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी भवनों का चयन के आधार पर, ब्लाक स्तर पर गोदाम-एवं-सी.डी.पी.ओ. कार्यालय का निर्माण और संचार एवं परियोजना प्रबन्धन निविष्टियों का सुदृढीकरण भी शामिल किए गए हैं। वर्ष 2002-03 में स्वीकृत एक अन्य परियोजना विश्व बैंक-भिन्न और गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में 4496 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण है। 2004-2005 के लिए बजट अनुमानों में की गई 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था में से लगभग 189 करोड़ रुपए विश्व बैंक सहायता है। यह परियोजना सितम्बर, 2004 में समाप्त हो जाएगी।

4. **आईसीडीएस के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम** : आईसीडीएस स्कीम में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण तत्व है। अप्रैल, 1999 से देशभर में चलाई गई विश्व बैंक सहायित आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना उद्दिशा एक नई पहल है। यह एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, चुनिंदा प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य सरकारों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आंशिक व्यय के लिए विश्व बैंक सहायता भी उपलब्ध है।

5. **दिवस परिचर्या केंद्र** : इस स्कीम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों जिनकी पारिवारिक आय 1800 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है, को दिवस परिचर्या सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के अधीन

चलाए जा रहे शिशु सदनों में ऐसे बच्चों, जिनके अभिभावक नौकरी करते हैं अथवा बीमारी के कारण अक्षम होते हैं और उनकी देखभाल करने में असमर्थ होते हैं, के स्वास्थ्य निरीक्षण, पूरक पोषाहार, डाक्टरी जांच तथा प्रतिरक्षण आदि की व्यवस्था है। यह स्कीम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राष्ट्रीय स्तर के दो अन्य स्वयंसेवी संगठनों के जरिए पूरे देश में कार्यान्वित की जाती है। कार्य बल में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए क्रेच और दिवस परिचर्या केंद्रों का व्यापक रूप से विस्तार सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने देश में शिशु देख-रेख सेवाओं को व्यवस्थित तरीके और भागीदारी से बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है। इस विभाग के तत्वाधान में चल रहे मौजूदा क्रेचों और डे केयर केंद्रों के मानदंडों में संशोधन करने के अलावा क्रेचों के मानकों का समर्थन और संवर्धन किया जाएगा।

6. **संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) को अंशदान**: संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि में भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष व्यवस्था की जाती है।

7. **राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन.आई.पी. सी.सी.डी.)**: इसका उद्देश्य बच्चों के सामाजिक विकास, बाल विकास की व्यापक समीक्षा और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई का विकास और संवर्धन करना है। यह संस्थान अनुसंधान एवम् मूल्यांकन अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विचार गोष्ठियों (सेमीनारों), कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करता है, लोक-सहयोग तथा बाल विकास के क्षेत्र में सूचना सेवाएं प्रदान करता है और गुवाहाटी, बंगलौर, लखनऊ तथा इंदौर स्थित अपने चार क्षेत्रीय केंद्रों सहित नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में प्रशिक्षण, अनुसंधान परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

पिछले कुछ वर्षों में यह संस्थान स्व-शक्ति एवं स्वयंसिद्ध जैसे महिला अधिकारिता कार्यक्रमों पर आधारित स्व-सहायता समूहों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण एजेंसियों के रूप में उभर कर सामने आया है।

8. **अन्य योजनाएं** : बाल कल्याण : इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बाल बोर्ड, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्व बाल दिवस, भारत- विदेश आदान-प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र अंशदान, अनुसंधान प्रकाशनों, सामाजिक रक्षा, जन शिक्षा एवं सूचना प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता तथा राष्ट्रीय बाल आयोग हेतु प्रावधान शामिल है।

9. **महिला शिक्षा के लिए गहन पाठ्यक्रम** : यह स्कीम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। स्कीम का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों से अपनी शिक्षा पूरा नहीं कर सकती है। यह स्कीम उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और बाद में रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इस

सं.59 / महिला और बाल विकास विभाग

स्कीम के अंतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर विद्यालय स्तरीय परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं।

10. **बालिका समृद्धि योजना** : गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह नयी स्कीम 1997 से शुरू की गयी। इस स्कीम का राज्य सरकारों को अन्तरण करने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

11. **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल** : इस योजना में कामकाजी महिलाओं और रोजगार हेतु प्रशिक्षित की जा रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पढ़ रही छात्राओं को सुरक्षित और वहनीय आवास की व्यवस्था करने की बात कही गई है। यह योजना गैर-सरकारी संगठनों, सहकारी निकायों और महिला/सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लगी अन्य एजेंसियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, महिला विकास निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना को संशोधित करने की प्रक्रिया चल रही है।

12. **प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को सहायता** : इस स्कीम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, डेरी उद्योग, मात्स्यिकी, हथकरघा, हस्तशिल्प आदि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के कार्य कौशल को सुदृढ़ करना एवं सुधारना है और इसके द्वारा इन क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना और उनकी आय-संवर्धक योग्यताओं को बढ़ाना है।

13. **केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड** : देश में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच एक अन्तरापृष्ठ के रूप में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) की वर्ष 1953 में स्थापना की गई थी। कुछ वर्षों से सीएसडब्ल्यूबी ने महिलाओं और बच्चों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के कल्याण और विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समय कार्यान्वयन के अधीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए गहन पाठ्यक्रम, जागरूकता उत्पन्न करने संबंधी कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिवार परामर्श केन्द्र, महिला मंडल और अल्पकालिक आवास गृह शामिल हैं। इन स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है। दसवीं योजना के दौरान, पारिवारिक मंत्रणा केन्द्र के कार्यक्रम को बढ़ाने और उन्नत बनाने का प्रस्ताव है।

14. **स्वावलम्बन** : यह स्कीम समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाली स्त्रियों को परम्परागत तथा गैर-परम्परागत व्यवसायों का प्रशिक्षण देने और तदोपरान्त उन्हें अनवरत आधार पर रोजगार दिलाने के लिए है।

15. **अल्पकालिक गृह** : यह स्कीम उन महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और पुनर्वास किए जाने के लिए है जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनावों, सामाजिक बहिष्कार, शोषण अथवा अन्य कारणों से सामाजिक और नैतिक खतरे का सामना कर रही हैं। इस स्कीम में चिकित्सा सम्बन्धी देख-भाल, मनोवैज्ञानिक उपचार, रोगी सम्बन्धी कार्य सेवाएँ, व्यावसायिक उपचार, शिक्षा, व्यावसायिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियाँ और समायोजन की सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था समायोजन किए जाने की गई है। विभाग ने कुछ अल्पकालिक आवास गृहों में असहाय महिलाओं के लिए सहायता सेवाएं भी शुरू की हैं।

16. **जागरूकता सृजन कार्यक्रम (ए.जी.पी.)** : इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच संगठित गतिविधि की भावना पैदा करना है ताकि वे अपनी जरूरतों/समस्याओं को पहचान सकें और अपने मार्ग में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य योजना तैयार कर सकें। प्रत्येक शिविर के लिए 10,000/- रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

17. **राष्ट्रीय महिला आयोग** : राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करने के लिए तथा महिलाओं से संबंधित अथवा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी केन्द्रीय और राज्य कानूनों की समीक्षा करने का आदेश दिया गया है। यह महिलाओं से उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए याचिकाएं प्राप्त करता है। यह अपने आदेश के तहत कार्यों के अनुष्ण और निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक सांविधिक निकाय है।

18. **स्वशक्ति परियोजना** : इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में "कृषि" क्रिया-कलापों में संलग्न महिलाओं का, गतिशील स्व-सहायता समूहों के गठन के जरिए विकास करना और उन्हें अधिकारिता प्रदान करना है। यह परियोजना विदेशी सहायता प्राप्त है और इसका कार्यान्वयन बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में महिला विकास निगमों और समितियों के माध्यम से किया जाता है। अधिकांश स्व-सहायता समूह, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन जैसे कार्यों, कृषि/कृषि-भिन्न क्रियाकलापों तथा अन्य दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए परिपक्व हो गए हैं।

19. **राष्ट्रीय महिला कोष** : राष्ट्रीय कोष की स्थापना 31 करोड़ रुपये की संचित निधि से वर्ष 1993 में की गयी थी। इस समय, यह कोष गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से निर्धन महिलाओं को छूट रहित ऋण प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला कोष से सहायता की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है तथा संचित निधि को 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का अनुमोदन दे दिया गया है।

20. **स्वयंसिद्ध** : स्व-सहायता समूहों के गठन पर आधारित, महिलाओं के विकास एवं अधिकारिता के लिए यह एक देशव्यापी एकीकृत परियोजना है जिसमें विभिन्न स्कीमों के परिवर्तन और अल्प ऋण की सुलभता एवं छोटे माइक्रो उद्यम को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

21. **स्वाधार** : कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण की जरूरत को स्वीकारते हुए, वर्ष 2001-02 स्वाधार योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, यौन-व्यापार की शिकार, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार, मानसिक रूप से विकसित और असहाय महिलाओं का भली-प्रकार पुनर्वास किया जाना है। इस योजना में महिलाओं के लिए भोजन और आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना में असहाय महिलाओं के लिए 'हेल्प-लाइन' स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई है।

22. **यौन-व्यापार पीड़ितों के लिए योजना** : वर्ष 2004-05 के दौरान शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित यह एक नई योजना है। इस योजना का उद्देश्य यौन-व्यापार पीड़ितों के सुरक्षा कार्यों में लगे गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को सहयोग देना है। गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को, यौन व्यापार पीड़ितों को आश्रय-गृहों में ले जाने और आश्रय गृहों में उनके अस्थायी तौर पर ठहरने की व्यवस्था करने के खर्च को पूरा करने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है।

23. **अन्य कार्यक्रम : महिला कल्याण** : वर्ष 2004-05 में आयोजना-भिन्न के अधीन 0.20 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है।

24. **राष्ट्रीय पोषाहार मिशन** : प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2001 को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण ने यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया जाएगा। मिशन के लिए दो-स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और इसकी कार्यकारी समिति मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन होगी।

25. **अन्य योजनाएं (पोषाहार)** : खाद्य एवं पोषण बोर्ड की गैर-आयोजना संरचना केन्द्र और राज्य स्तरों पर राष्ट्रीय पोषण नीति के निर्देशों को बढ़ावा देने के लिए उपाय करता है और विभिन्न स्तरों पर पोषण संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। समुदाय को पोषण शिक्षा, प्रदर्शन कार्यक्रमों के जरिए दी जाती है। सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं और उनके प्रशिक्षकों को पोषण संबंधी जानकारी एकीकृत पोषण शिक्षा शिविरों और दिशा ज्ञान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करके दी जाएगी। सामूहिक जागरूकता अभियानों का आयोजन राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, विश्व मातृ दुग्ध पोषण सप्ताह, विश्व खाद्य दिवस आदि जैसे राष्ट्रीय समारोहों में किया जाता है।

26. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान** : पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की स्कीमों/परियोजनाओं हेतु वर्ष 2004-05 के लिए 240 करोड़ रुपए की राशि का एकमुश्त प्रावधान किया गया है। वर्ष की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के हित की सम्बद्ध योजनाओं के इस प्रावधान में से निधियों का पुनर्विनियोजन किया जाएगा।